राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– श्री मंगलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 2/2017/वाद पत्र	तारीख दायर 13.01.2017	तारीख फैसला 03.05.2018

उनवान

बाबूलाल पिता जगदीश कुमावत निवासी बड़ला तह0 फूलियाकलां

– वादी

बनाम

1–2 पप्पू, छोटूलाल पिता भैरू कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां
3–4 छोगा, रामचन्द्र पिता गोकल कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां
5–8 धन्ना, माधु, किशना, मेवा पिता पॉचु कुमावत नि0 बड़ला त0 फूलियाकलां
9– गंगा पत्नि पॉचु कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां
10– बदरी पिता जग्गा कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां
11–13सुरेश, मुकेश, लाली पिता रामप्रसाद कुमावत नि0 बड़ला त0 फूलियाकलां
14– भूरी बेवा रामप्रसाद कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां
15– तहसीलदार, फूलियाकलां
16– शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कादेड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम बड़ला प0ह0 बड़ला तहसील फूलियाकलां की जमाबन्दी संवत 2070 से 73 खाता संख्या 198 कुल किता 06 रकबा 2.09 है0 दर्ज होकर वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण 11 लगायत 14 का 1/4 हिस्सा खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान मे आराजी संयुक्त होने से वादी अपने हिस्से व कब्जे वाली आराजीयात पर लागत लगाकर विकसित नही कर सकता है इसलिए बंटवाड़ा हेतु वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वर्तमान मेवादी का आराजी नं0 618 रकबा 0.38 है0 व आ0न0 617 रकबा 0.67 है0 मे से 0.17 है0 आ0न0 1618 से लगी हुई यानि आ0न0 1817 के बदिशा पश्चिम की ओर 0.17 है0 पर कब्जा चला आ रहा है। अतः वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 के खिलाफ बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री अमर अमर की जारी की जावे कि वाद के पैरा 1 व 3 मे वर्णित आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर कब्जे को ध्यान मे रखते हुये बंटवाड़ा कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 व 16 दिनांक 25.01.2018 को बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। दिनांक 23.02.2018 को प्रतिवादी नं0 15 के विरूद्व के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 06.04.2018 को वादी बाबूलाल स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्लू0 – 1 है। प्रकरण ...

सेवा केन्द्र बांसेड़ा पर रखा गया। अभिभाषक मय वादी उपस्थित जिनको सुना गया। सुनवाई के दौरान बताया कि वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर बंटवाड़ा स्कीम तैयार करवा आज ही प्रकरण निस्तारण कराना फरमावे। मौके पर वादग्रस्त आराजीयात की बंटवाडा स्कीम तैयार करने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को निर्देशित किया गया। 'तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत बंटवाड़ा स्कीम अनुसार वाके ग्राम बड़ला खाता नं0 198 कुल किता 6 रकबा 2.09 है0 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दर्ज हक हिस्से अनुसार निम्नानुसार बंटवाड़ा किये जाने का आदेश दिया जाता है :–

1– वादी :– बाबूलाल पिता जगदीश कुमावत नि0 बड़ला तहसील फूलियाकला के नाम दर्ज किया जावे।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
1618	0.38	चाही द्वितीय	7.60
1617 मे से	0.14	चाही चतुर्थ व बीड़	1.32
किता 2	0.52	–	8.92

2– प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 10 :– पप्पू, छोटूलाल, छोगा, रामचन्द्र, धन्ना, माधु, किसना, मेवा, बाली गंगा कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां के नाम दर्ज किया जावे।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
1613	0.38	चाही चतुर्थ	3.80
1614	0.33	चाही चतुर्थ	3.30
1615	0.15	चाही चतुर्थ	1.50
1616	0.18	चाही चतुर्थ	1.80
1617 मे से	0.01	चाही चतुर्थ	0.10
किता 5	1.05	–	10.50

3– प्रतिवादीगण नं0 11 लगायत 14 :– सुरेश, मुकेश, लाली, भूरी कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां के नाम दर्ज किया जावे।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
1617 मे से	0.52	चाही चतुर्थ व बीड़	4.88
किता 1	0.52	–	4–88

उपरोक्तानुसार तहसीलदार, फूलियाकला को वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने व नक्शे मे तरमीम के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी जो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र बांसेड़ा पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...लास श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर0ए0एस0

उनवान

– बाबूलाल पिता जगदीश कुमावत निवासी बड़ला तहसील फूलियाकलां

— वादी

बनाम

–2 पप्पू, छोटूलाल पिता भैरू कुमावत नि0 बड़ला तहसील फूलियाकलां
–4 छोगा, रामचन्द्र पिता गोकल कुमावत नि0 बड़ला तहसील फूलियाकलां
–8 धन्ना, माधु, किशना, मेवा पिता पॉचु कुमावत नि0 बड़ला तहसील फूलियाकलां
– गंगा पत्नि पॉचु कुमावत नि0 बड़ला तहसील फूलियाकलां
– बदरी पिता जग्गा कुमावत निवासी बड़ला तहसील फूलियाकलां
–13 सुरेश, मुकेश, लाली पिता रामप्रसाद कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां
– भूरी बेवा रामप्रसाद कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां
– तहसीलदार, फूलियाकलां
– शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, कादेड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टि0एक्ट
मुकदमा नम्बर 2 सन् 2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदासलत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व. ....X.......... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्त दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

तहसीलदार, फूलियाकलां द्वारा प्राप्त बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस अनुसार वाके ग्राम बड़ला प0म0 बड़ला तहसील फूलियाकलां के खाता संख्या 198 कुल किता 6 रकबा 2.09 है0 का वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दर्ज हक हिस्से अनुसार निम्नानुसार बंटवाड़ा किये जाने का आदेश दिया जाता है।

1– वादी – बाबूलाल पिता जगदीश कुमावत नि0 बड़ला तह0 फूलियाकलां के नाम दर्ज किया जावे :–

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
1618	0.38	चाही द्वितीय	7.60
1617 मे से	0.14	चाही चतुर्थ व बीड़	1.32
किता 02	0.44	–	8.92

प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 – पप्पू, छोटूलाल, छोगा, रामचन्द्र, धन्ना, माधु, किसना, मेवा, गंगा, बदरी कुमावत निवासी बड़ला के नाम दर्ज किया जावे।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
1613	0.38	चाही चतुर्थ	3.80
1614	0.33	चाही चतुर्थ	3.30
1615	0.15	चाही चतुर्थ	1.50
1616	0.18	चाही चतुर्थ	1.80
1617 मे से	0.01	चाही चतुर्थ	0.10
किता 05	1.05	–	10.50

प्रतिवादीगण नं0 11 लगायत 14 :– सुरेश, मुकेश, लाली, भूरी कुमावत नि0 बड़ला के नाम दर्ज किया जावे।

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
1617 मे से	0.52	चाही चतुर्थ व बीड	4.88
किता 1	0.52	–	4.88

उपरोक्तानुसार तहसीलदार, फूलियाकलां को वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने व नक्शें मे तरमीम के आदेश दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करें।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 03 माह 05 सन् 2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र बांसेड़ा मे जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा